न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/544

गोविन्दा आयु बालिग आत्मज श्री गोपी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मांगली कलां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

मोहन लाल आत्मज श्री सुन्दर लाल जाति ब्राह्मण निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 115 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 351 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 356 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल 07 किता की कुल रकबा 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण कोर्ट कैम्प मु0 देवजी का थाना में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 21.05.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

.....

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुए बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 21.05.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्डी की जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने में कोई आपत्ति नहीं होना कथन किया है ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और राजीनामा के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं है और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

.....